सुखी देवी बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व वाद सं0:– 67/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी:– मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:– 67/2025

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
1. सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम जाति सीरवी निवासी बेरा मिठाणी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री किशन सोनी, श्री दिनेश चन्द पालरिया अधिवक्ता वादीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 23/07/25

–: निर्णय :–

1. अधिवक्ता वादीया ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वादीया की संयुक्त कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 4299, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26.1800 है0 की कृषि भूमि में वादीया का 1/4 हक हिस्सा संयुक्त खातेदारी कब्जा का आता हैं। इसी प्रकार खसरा नंबर 3780, 3818 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6500 है0 में वादीया का 1/2 हक हकूक संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्तसुदा का आता हैं तथा वादीया की माता धापूदेवी का स्वर्गवास दिनांक 29/06/2019 को हो जाने से वादीया व उसकी पांच बहिनों का फौतेदगी का नामान्तकरण दिनांक 16/10/2020 इन्द्राज करते समय मुझ वादीया का नाम सुखीदेवी के स्थान पर सुकड़ीदेवी इन्द्राज कर दिया था तत्पश्चात् वादीया की पांचो बहिनों ने वादीया के पक्ष में रजिस्टर्ड हकर्तकनामा के जरिये अपना अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया था। फौतेदेगी का नामान्तकरण इन्द्राज करते समय राजस्व अधिकारी ने भूलवश व त्रुटिवश मुझ वादीया का नाम सुकड़ीदेवी पुत्री पन्नाराम दर्ज कर दिया है जबकि मेरा सही व वास्तविक रेकर्डेड नाम सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम ही है वादीया के अन्य दस्तावेजात तथा पहिचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, फार्मर आई डी, बैंक डायरी, किसान कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में वादीया का नाम सुखीदेवी पत्नी पाबूराम दर्जसुदा है। जिन तमाम दस्तावेजों की प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। वादीया के पिता पन्नाराम के सुकड़ी देवी के नाम से किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है, वादस्थ कृषि भूमि के मौके पर वादीया का ही कब्जा काश्त है तथा वादीया ही उक्त वादस्थ कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग बिना किसी बाधा के खुलम खुला शारस्वत रूप से करती आ रही है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश एवं गलतीवश वास्तविक नाम दर्ज नहीं होने की वजह से वादीया को उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसलियें वादीया राजस्व रेकर्ड मे सुकड़ीदेवी पुत्री पन्नाराम को दुरूस्त कर सुकड़ीदेवी के स्थान पर सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम जाति सीरवी दर्ज करवाये जाने का अधिकारी होने से यह वाद खातेदारी घोषणा का बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

2. इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि उपरोक्त पद सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम के स्थान पर सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम जाति सीरवी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम दुरूस्त कर सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

3. इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बगड़ी चक द्वितीय में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 03 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 05 कानूनी होना अंकित किया हैं।

4. तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक / रीडर / 2025 / 774 दिनांक 02.06.2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बगड़ी चक–2 के खाता सं0 733, 853 / 875 (नया) प्रार्थीया सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम के नाम खाता सं0 733 में 1 / 4 व खाता सं0 875 में 1 / 2 हिस्सा भूमि है, उक्त जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम सुकड़ी देवी दर्ज हैं। अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंक डायरी, किसान कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में सुखी देवी है जो वास्तविक व सत्य हैं। मौका अनुसार जांच में भी सुकड़ी देवी के स्थान पर सुखी देवी ही पाया गया हैं, की रिपोर्ट पेश की।

5. बहस अधिवक्ता वादीया एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि पद सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम के स्थान पर सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम जाति सीरवी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम दुरूस्त कर सुखीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी पाबूराम किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीया एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के नया खाता सं0 875, 733 में वादीया का नाम सुकड़ीदेवी पुत्री पन्नाराम जाति सीरवी सा0देह खातेदार दर्जसुदा हैं, जबकि वादीया के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड 3757 0450 4976, मतदाता पहचान पत्र सं0 ALR1971092, जन आधार सं0 4780862313, सहकारी किसान कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में वादीया का नाम सुखी देवी पत्नि पाबूराम तथा पेंशन आवेदन सं0 RJ-A-15619418 में वादीया के पिता का नाम पन्नालाल तथा पति का नाम पाबूराम दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मौके पर सुकड़ी देवी के स्थान पर सुखी देवी ही होना पाया गया। जिससे वादीया का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सुकड़ी देवी नहीं होकर सुखी देवी होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम के स्थान पर सुखी देवी पुत्री पन्नाराम

उपखण्ड अधिकारी

पत्नि पाबुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

7. अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू—अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान की कृषि भूमि खसरा नंबर 4299, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26.1800 है0, इसी प्रकार खसरा नंबर 3780, 3818 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6500 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुकड़ी देवी पुत्री पन्नाराम के स्थान पर सुखी देवी पुत्री पन्नाराम पत्नि पाबुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

8. यह निर्णय आज दिनांक 23/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

सोजत